राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3024 / 2024

सुधीर प्रताप सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), कलेक्ट्रेट, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.10.2024
आदेश की दिनांक : 04.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने निलम्बन आदेश दिनांक 23.12.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, अपीलार्थी ने अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर तहसील तालेडा, जिला बूंदी में कार्यरत था। अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना तालेडा जिला बूंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, जिस पर दिनांक 22.12.2022 को तहसीलदार तालेडा ने अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपीलार्थी से स्पष्टीकरण मांगा एवं इसके पश्चात दिनांक 23.12.2022 को अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 16.03.2023 को चार्ज शीट दी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को गलत रूप से फसाया गया है और जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा गलत आधारों पर अपीलार्थी को ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी किया गया है। अपीलार्थी ने समय समय पर प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निलम्बन के आदेश को पुर्नविलोकन करने के लिये निवेदन किया है, परन्तु अपीलार्थी का निलम्बन आदेश अभी तक रिव्यू नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध गलत आधारों पर कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में

अपीलार्थी का निलम्बन आदेश जारी रखना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग को निलम्बन आदेश हर 6 माह में रिव्यू करना होता है, परन्तु अपीलार्थी का निलम्बन आदेश रिव्यू नहीं किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी को दिनांक 23.12.2022 को निलम्बित किये जाने के पश्चात अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभाग में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत कार्यवाही लम्बित है। ऐसे में अपीलार्थी के आरोपों के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किया जाना उचित नहीं है। अतः हम अपीलार्थी के निलम्बन आदेश को विधि विरूद्ध होना नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

5. कार्मिक को यह अधिकार है कि वह निलम्बन आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–22 के तहत विभागीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी उक्त नियम–22 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)